यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ठासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
क़दमा नम्बरः–62/2019 प्रार्थना पत्र
ीमति प्यारी पत्नि लादू रेबारी, उम्र बालिग निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———प्रार्थीया

बनाम

1–श्री माधू पिता गोपाल रेबारी, उम्र बालिग निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा
2–श्री मांगू पिता गोपाल रेबारी, उम्र बालिग निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा
3–श्री भग्गा पिता गोपाल रेबारी, उम्र बालिग निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा
4–श्री रंगा पिता हजारी ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्री शंकर पिता माधू रेबारी, उम्र बालिग निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा
–श्री घीसू पिता बागा रेबारी, उम्र बालिग निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाड़ा
–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———विपक्षीगण

———

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः–22.3.2019

:: नि र्ण य ::

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम नगर पटवार हल्का जागदरी तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 971, 972 किता 2 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित ाजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के ण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का ना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 15.2.2019 को पंजीबद्व किया जाकर ये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 7 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 7 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् जे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.3.2019 को एक तरफा वाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल ते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम पाबूनगर पटवार हल्का जागदरी तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

न आराजी नम्बर 971, 972 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, रोईकंला को 300/–रूपये (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। मिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की जूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को लना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 22.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया या।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner